भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **4324**
दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1940 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराया निर्धारित करना

4324. श्री रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विमानन प्रचालकों द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित किए गए विमान किराए सहित उनके द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी°जी°सी°ए°) ने ऐसी दोषी निजी एयरलाइन्स के विरुद्ध कार्यवाही की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) निजी एयरलाइन्स सहित कंपनियों द्वारा हवाई किराए का विनियमन करने में पारदर्शिता लाने के लिए डी°जी°सी°ए° द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): अनुसूचित एयरलाइनों की घटना दर 2013 के बाद से कम हो गई है, जबकि दुर्घटना दर में 2015 के बाद से गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा जारी दिशा-निदेशों के आधार पर, अनुसूचित एयरलाइन दुर्घटना के लिए दुर्घटना दर की गणना प्रति 10000 /- प्रस्थानों के अनुसार की जाती है । वर्ष वार दुर्घटना और घटना दर इस प्रकार है:

वर्ष	घटना दर	दुर्घटना दर
2013	0	13.9
2014	2.8	11.63
2015	5.1	7.46
2016	3.3	7.27
2017	1.0	6.56
2018 (नवंबर तक)	0.9	4.71

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने दुर्घटनाओं / घटनाओं का सुरक्षित विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण डीजीसीए द्वारा वर्ष 2016 और 2017 के लिए "वार्षिक सुरक्षा समीक्षा" के रूप में प्रकाशित किया गया है। विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -
संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन जांच रिपोर्टो में की जाने वाली सुरक्षा सिफारिशों का पालन किया जाता है ताकि भविष्य में इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- दुर्घटना / घटना डेटा का विश्लेषण वार्षिक आधार पर किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर दुर्घटनाओं की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए ऑपरेटरों के साथ महत्वपूर्ण टिप्पणियों/ निष्कर्ष साझा किए जाते हैं।

- वार्षिक निगरानी कार्यक्रम के अनुसार, ऑपरेटरों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों का अनुपालन के लिए ऑपरेटर द्वारा पालन किया जाता है। अगले परीक्षण के दौरान ऑपरेटर द्वारा की गई अनुपालन कार्रवाई को सत्यापित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रचलित विनियमन के अनुसार, सरकार द्वारा हवाई किराया न तो विनियमित है और न ही स्थापित है। वायुयान नियमावली 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) के प्रावधान के तहत एअरलाइंस, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विषेशताओं, युक्ति युक्त लाभ और सामान्य प्रचालन टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर युक्त किराया निर्धारित कर सकती है। एअरलाइंस मूल्य निर्धारण प्रणाली कई स्तरों (बकट अथवा रिजर्वेशन बुकिंग डेसिगनेटर) मे चलती है, जो विश्व स्तर पर प्रचालन के अनुरूप है। बाजार, मांग, मौसमियता और अन्य बाजार बलों को ध्यान में रखते हुए एअरलाइनों द्वारा किराए तय किए जाते हैं। सीट की मांग में वृद्धि के साथ विमान किराया बढ़ता है क्योंकि एअरलाइंस द्वारा बुकिंग के समय कम किराया वाली बकेट जल्दी से बिक जाती है। 60 दिनों, 30 दिन, 14 दिन आदि की मौजूदा अग्रिम खरीद योजनाओं के अलावा, कुछ एयरलाइनों ने एपेक्स- 90 को शुरू किया है, जिसमें अत्यधिक रियायती किराए की पेशकश की जा रही है, जिससे कम किराए पर भी पीक सीजन के दौरान यात्रा की जा सकती है। एअरलाइनों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइट पर उपर्युक्त किराया दर्शाया जाता है। एयर लाइन वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 मे उपनियम (2) के अनुपालन में तब तक है जब तक उनके द्वारा लिया जाने वाला किराया , उनके द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किराए के अनुरूप है। प्रचलित नियमन के अनुसार, सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को अपनी-अपनी वेबसाइटों पर रूट-वार और श्रेणी-वार किराए प्रदर्शित करना आवश्यक है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) यादृच्छिक आधार पर चुने गए कुछ मार्गों पर विमान सेवा की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइंस उनके द्वारा घोषित सीमा के बाहर विमान किराए न वसूले। हाल के दिनों में किए गए किराया की निगरानी के विश्लेषण से पता चला है कि एयरलाइनों के किराए उनकी संबंधित वेबसाइटों पर एयरलाइनों द्वारा प्रदर्शित किए गए किराए की सीमा के भीतर बने रहे। किसी मामले में, कोई भी किराया वृद्धि देखी जाती है, तो नागर विमानन मंत्रालय / नागर विमानन महानिदेशालय आवश्यक हस्तक्षेप के लिए एयरलाइनों को संवेदनशील बनाता है।

*****